



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-08102026-276923
CG-RJ-E-08102026-276923

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5155]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2026/आश्विन 8, 1948

No. 5155]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2026/ASVINA 8, 1948

रेल मंत्रालय

(पश्चिम मध्य रेलवे)

अधिसूचना

कोटा, 29 सितम्बर, 2026

(पहले से प्रकाशित ई-राजपत्र अधिसूचना संख्या 4479, का.आ. 4860 (अ)

दिनांक 8 नवम्बर 2024 में आवश्यक पुरक परिशिष्ट)

का.आ. 5363(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 की संख्या 11) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, यह भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, राजस्थान राज्य के करौली जिले में कोटा मथुरा सेक्शन के मध्य करौली जिले में समपार संख्या 202 पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय कि घोषणा करती है;

उक्त भूमि के लिये इच्छुक कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन कि तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा; प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, उपखंड अधिकारी, तालुका हिंडौन, जिला करौली को लिखित रूप में किया जाएगा जो कि आक्षेप का

आधार होगा। सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी प्रकटशनर के माध्यम से सुनवाई अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई और जाँच करने के पश्चात, यदि आवश्यक समझे तो, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों के लिये अनुमति देगा या अनुमति प्रदान नहीं करेगा;

उक्त अधिनियम कि धारा 20घ कि उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा। इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि योजना और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त उल्लेखित कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के करौली जिले में कोटा – मथुरा सेक्शन के मध्य करौली जिले में समपार संख्या 202 पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य की विशेष रेल परियोजना के लिये अधिग्रहण की जानेवाली संरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण:

राज्य:	राजस्थान					जिला :	करौली
गाँव :	हिंडन सिटी (एबीसीडी)					तालुका :	हिंडौन
क्रमांक	सर्वे न.	भूमि का प्रकार	भूमि का उपयोग	पहले 20E क्षेत्र	अतिरिक्त आवश्यक क्षेत्र	कुल आवश्यक क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	भूमि अर्जन का विस्तार
1.	329	निजी	संस्था	36.0	15.0	51.0	अतिरिक्त क्षेत्रफल
2.	388	निजी	कृषि	153.0	106.0	259.0	अतिरिक्त क्षेत्रफल
3.	391	निजी	90ख	100.0	156.0	256.0	अतिरिक्त क्षेत्रफल
4.	439	निजी	संस्था	557.0	130.0	687.0	अतिरिक्त क्षेत्रफल
5.	459	निजी	संस्था	-	349.0	349.0	नया खसरा संख्या
6.	460	निजी	संस्था	-	361.0	361.0	नया खसरा संख्या
7.	462	निजी	संस्था	-	346.0	346.0	नया खसरा संख्या
8.	463	निजी	संस्था	-	188.0	188.0	नया खसरा संख्या
9.	464	निजी	संस्था	-	1307.0	1307.0	नया खसरा संख्या
10.	471	निजी	संस्था	-	977.0	977.0	नया खसरा संख्या
11.	472	निजी	संस्था	1018.0	296.0	1314.0	अतिरिक्त क्षेत्रफल
12.	474	निजी	संस्था	-	11.0	11.0	नया खसरा संख्या
13.	512	निजी	संस्था	140.0	19.0	159.0	अतिरिक्त क्षेत्रफल
14.	575	निजी	90क	590.0	404.0	994.0	अतिरिक्त क्षेत्रफल
15.	576	निजी	कृषि	2930.0	988.0	3918.0	अतिरिक्त क्षेत्रफल
16.	10164/574	निजी	90क	-	367.0	367.0	नया खसरा संख्या
17.	10165/574	निजी	90क	25.0	87.0	112.0	अतिरिक्त क्षेत्रफल
18.	512/9783	निजी	संस्था	548.0	4.0	552.0	अतिरिक्त क्षेत्रफल
कुल क्षेत्रफल				6097.00	6111.00	12208.00	

[कम्प्यूटर न. 260401 फा.सं.ई.-पमरे-कोटा0बीआरजीएल(जीसीबीआर)/6/2024-सीई आरएसडब्ल्यू]

सौरभ मिश्र, मुख्य परियोजना प्रबंधक

MINISTRY OF RAILWAYS

(West Central Railway)

NOTIFICATION

Kota, the 29th September, 2026

(Addendum required in already published E-Gazette Notification No. 4479, S.O. 4860 (E)

dated 08 November 2024)

S.O. 5363(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) and the Railways (Amendment) ACT, 2008 (No. 11 of 2008) (hereinafter referred in as the said act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, namely, Kota-Mathura section in Kaurali District Construction of Road Over Bridge on LC No. 202 Project in District Karauli in the State of Rajasthan, hereby declares its intention to acquired such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Sub Divisional Officer, Taluka Hindaun City, District Karauli, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may. After hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (II) of final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within, for the Special Railway Project namely: Kota – Mathura section in Karauli District Construction of Road Over Bridge on LC No. 202 in District Karauli in the State of Rajasthan.

State :		Rajasthan				District :	Karauli
Village :		Hindaun ABCD				Taluka :	Hindaun
S. No.	Survey No.	Type of Land	Nature of Land	Earlier 20E Area	Additional Area Required	Total Required Area (SQM)	Remarks
1.	329	Private	Private	36.0	15.0	51.0	Additional Area
2.	388	Private	Agricuture	153.0	106.0	259.0	Additional Area
3.	391	Private	90B	100.0	156.0	256.0	Additional Area
4.	439	Private	Institution	557.0	130.0	687.0	Additional Area
5.	459	Private	Institution	-	349.0	349.0	New Survey No.
6.	460	Private	Institution	-	361.0	361.0	New Survey No.
7.	462	Private	Institution	-	346.0	346.0	New Survey No.
8.	463	Private	Institution	-	188.0	188.0	New Survey No.
9.	464	Private	Institution	-	1307.0	1307.0	New Survey No.
10.	471	Private	Institution	-	977.0	977.0	New Survey No.
11.	472	Private	Institution	1018.0	296.0	1314.0	Additional Area
12.	474	Private	Institution	-	11.0	11.0	New Survey No.
13.	512	Private	Institution	140.0	19.0	159.0	Additional Area
14.	575	Private	90A	590.0	404.0	994.0	Additional Area
15.	576	Private	Agricuture	2930.0	988.0	3918.0	Additional Area
16.	10164/574	Private	90A	-	367.0	367.0	New Survey No.
17.	10165/574	Private	90A	25.0	87.0	112.0	Additional Area
18.	512/9783	Private	Institution	548.0	4.0	552.0	Additional Area
Total Area				6097.00	6111.00	12208.00	

[Computer No. 260401 File No. E- WCR-KOTA0BRGL(GCBR)/6/2024-CERSW]
SAURABH MISRA, Chief Project Manager